पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
आपराधिक विविध सं.– 45499/2016

थाना कांड सं.–344 वर्ष–2014 थाना–बारौनी जिला–बेगुसराय से उत्पन्न

= =

मो. राजा उर्फ रमीज राजा, पिता– मो. जहांगीर, निवासी– बरौनी, थाना– तेघरा, जिला– बेगुसराय।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य .... विपरीत पक्ष

= =

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता
विरोधी पक्ष/दलों के लिए : श्री मतलुब रब, ए.पी.पी.

= =

- मुख्य मुद्दे:–

1. क्या "अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956" की धाराओं 3/4/5/6 के तहत अभियोजन वैध था?

2. क्या जांच और तलाशी के दौरान "धारा 15(2)" और "दं.प्र.सं. की धारा 100(4)" का अनुपालन किया गया था?

3. क्या "ग्राहक" के रूप में किसी व्यक्ति की उपस्थिति अपराध के दायरे में आती है?

- न्यायालय की टिप्पणियां:–

1. धारा 3/4/5/6 के तहत अभियोजन की वैधता: – न्यायालय ने माना कि "ग्राहक" के रूप में किसी व्यक्ति की उपस्थिति को इन धाराओं के तहत अपराध नहीं माना जा सकता – अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया कि याचिकाकर्ता किसी अनैतिक गतिविधि में संलिप्त थे या उन्होंने किसी षड्यंत्र में भाग लिया। (दिनेश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 AHC–LKO–15780).
2. जांच और तलाशी में प्रक्रिया का उल्लंघन: – "अनैतिक व्यापार अधिनियम" की धारा 15(2) और दं.प्र.सं. की धारा 100(4) के तहत तलाशी के लिए स्वतंत्र और सम्मानित गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। – इस मामले में पुलिस ने होम गार्ड कर्मियों को गवाह के रूप में शामिल किया, जो कानून के अनुसार पर्याप्त नहीं था। – हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटियां अभियोजन को पूरी तरह से रद्द करने का आधार नहीं बनतीं। (कंडिका 8, 9)
3. ग्राहक के रूप में उपस्थिति: – अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता एक "ग्राहक" के रूप में कार में मौजूद थे। – न्यायालय ने कहा कि "ग्राहक" के रूप में उपस्थिति, किसी षड्यंत्र में भाग लेने के बिना, अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। कल्पनाथ राय बनाम सी.बी.आई [(1997) 8 SCC 732, गोयनका साजन कुमार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

= =

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक आदेश

तारीख : 25-06-2024

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री दिवाकर प्रसाद सिंह और राज्य की ओर से विद्वान ए.पी.पी. श्री मतलूब रब को सुना गया।

2. वर्तमान निरस्तीकरण याचिका, जी.आर. संख्या 3595/2014 के अनुरूप बरौनी थाना कांड संख्या- 344/2014 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगूसराय द्वारा दिनांक 26.02.2016 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आई.पी.सी.') की धारा 120 बी और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "1956 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 3/4/5/6 के तहत अपराध का संज्ञान विद्वान दंडाधिकारी द्वारा लिया गया था।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि सूचक, जो जीरो माइल पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर था, ने आरोप लगाया है कि जब वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गश्ती ड्यूटी पर था, तो बिहार नगर परिषद विदेशी शराब दुकान संख्या 24 के पास पहुंचा और वाहन की तलाशी शुरू की, जहां एक कार रजिस्ट्रेशन नंबर BR09P-3462 की तलाशी लेने पर उसने देखा कि कार के अंदर तीन व्यक्ति और एक महिला मौजूद थे और अवैध कृत्य/व्यवहार कर रहे थे। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम और पता बताया। सूचक ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति खुद को कार में बंद कर एक महिला के साथ अवैध व्यवहार कर रहे थे, जो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3/4/5/6 के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्र गवाह की अनुपलब्धता के कारण, होमगार्ड के जवानों को घटना का गवाह बनाया गया 11,000/- आदि बरामद कर जब्त कर लिए गए। मुखबिर ने कार भी जब्त कर ली तथा गिरफ्तार व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3/4/5/6 के तहत कार्रवाई के लिए पेश किया।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि सह-आरोपी महिला याचिकाकर्ता को

नहीं जानती थी, क्योंकि उसने एक छोटी सी जगह के लिए लिफ्ट ली थी, जो वाहन के मालिक यानी सह–आरोपी राज कुमार पोद्दार ने दी थी। यह बताया गया कि निस्संदेह वर्तमान मामले में वाहन, कथित कार को अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 2(ए) के मद्देनजर 'वेश्यालय' कहा जा सकता है, और यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ता को अधिकतम ग्राहक कहा जा सकता है क्योंकि वह संबंधित वाहन का मालिक नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के अलावा वाहन के अंदर तीन अन्य व्यक्ति थे, जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी अभद्र कृत्य या गतिविधियों में शामिल होने का कोई विशेष आरोप उपलब्ध नहीं है जिसे 'अनैतिक' कहा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि नकदी वाहन के मालिक की है, जहां जांच के दौरान कुछ भी विशेष रूप से सामने नहीं आया क्योंकि यह कथित रूप से यौन वासना को पूरा करने के लिए भुगतान किया गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्य कहीं से भी इस तरह से पुष्ट नहीं होते कि प्रथम दृष्टया अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3/4/5/6 के तहत मामला बनता हो, जैसा कि आरोप लगाया गया है, और ऐसे में कार्यवाही जारी रखना केवल कानून की अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करना होगा, क्योंकि वेश्यालय में किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से कोई अपराध नहीं बनता है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि परिसर की तलाशी के संबंध में अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 15 के अनिवार्य प्रावधान का वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया है। आगे यह भी बताया गया कि तलाशी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'द.प्र.सं.') की धारा 100(4) का अनुपालन भी नहीं किया गया है और केवल इसी आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आपराधिक मुकदमा रद्द किया जा सकता है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक **दिनेश तिवारी उर्फ धीरेन्द्र कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह सिविल सचिवालय, लखनऊ और अन्य (तटस्थ उद्धरण संख्या 2024 एएचसी–एलकेओ–15780) है, पर भरोसा किया।**

7. राज्य के विद्वान एपीपी ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को लड़की के साथ वाहन के अंदर तीन अन्य पुरुष आरोपी व्यक्तियों के साथ पाया गया था और घटना के चश्मदीद गवाहों, जो पुलिस कर्मी हैं, के बयान के अनुसार वे अभद्र/अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे, जबकि यह माना जाता है कि यह याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट नहीं है।

8. अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 15(2) और दं.प्र.सं. की धारा 100(4) को पुन: प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

*"**15(2).** उपधारा (1) के अधीन तलाशी लेने से पूर्व, विशेष पुलिस अधिकारी [या, यथास्थिति, तस्करी पुलिस अधिकारी] उस इलाके के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों (जिनमें से कम से कम एक महिला होगी) को, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान स्थित है, तलाशी में उपस्थित होने और उसे देखने के लिए बुलाएगा, और ऐसा करने के लिए उन्हें या उनमें से किसी को लिखित आदेश जारी कर सकेगा:*

[परन्तु यह अपेक्षा कि जिस स्थान पर तलाशी ली जानी है, उस क्षेत्र के सम्मानित निवासियों का वहां से होना, उस महिला पर लागू नहीं होगी, जिससे तलाशी में उपस्थित होने और उसे देखने की अपेक्षा की जाती है।]"

*"**100(4).** इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने से पहले, तलाशी लेने वाला अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस इलाके के दो या अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को बुलाएगा जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान स्थित है या किसी अन्य इलाके में, यदि उक्त इलाके का कोई ऐसा निवासी उपलब्ध नहीं है या तलाशी का गवाह बनने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वह तलाशी में उपस्थित होकर उसे देखेगा और ऐसा करने के लिए उसे या उनमें से किसी को लिखित में आदेश जारी कर सकेगा।"*

9. जहां तक अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा **3, 4, 5** और **6** का संबंध है, क्या 'वेश्यालय' में पाए गए ग्राहक पर इन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, इसका विवरण त्वरित संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

"3. वेश्यालय चलाने या परिसर को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए दंड– *(1) कोई भी व्यक्ति जो वेश्यालय चलाता है या उसका प्रबंध करता है, या उसके रख–रखाव या प्रबंध में कार्य करता है या सहायता करता है, उसे पहली बार दोषसिद्धि पर कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के कठोर कारावास और दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा तथा दूसरी बार या उसके बाद दोषसिद्धि की स्थिति में कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि के कठोर कारावास और दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।*

(2) कोई भी व्यक्ति जो –

(क) किसी परिसर का किरायेदार, पट्टेदार, अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति होते हुए, ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यालय के रूप में उपयोग करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, या

(ख) किसी परिसर का मालिक, पट्टाकर्ता या मकान मालिक या ऐसे मालिक, पट्टाकर्ता या मकान मालिक का एजेंट होते हुए, उसे या उसके किसी भाग को इस ज्ञान के साथ किराए पर देता है कि उसे या उसके किसी भाग को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने का इरादा है, या जानबूझकर ऐसे परिसर या उसके किसी भाग का वेश्यालय के रूप में उपयोग करने में भागीदार होगा, प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

[(2–क) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, जब तक विपरीत साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, यथास्थिति, जानबूझकर परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यालय के रूप में उपयोग किए जाने दे रहा है या उसे यह ज्ञान है कि परिसर या उसके किसी भाग का उपयोग वेश्यालय के रूप में किया जा रहा है, यदि, –

(क) उस क्षेत्र में प्रसारित होने वाले किसी समाचारपत्र में, जिसमें ऐसा व्यक्ति निवास करता है, यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है कि इस अधिनियम के अधीन की गई तलाशी के परिणामस्वरूप परिसर या उसका कोई भाग वेश्यावृत्ति के लिए प्रयुक्त पाया गया है; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट तलाशी के दौरान पाई गई सभी चीजों की सूची की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी।]

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किसी परिसर या उसके किसी भाग के संबंध में उस उपधारा के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर, कोई पट्टा या करार जिसके अधीन ऐसे परिसर को पट्टे पर दिया गया है या अपराध किए जाने के समय उस पर कब्जा है, उक्त दोषसिद्धि की तारीख से शून्य और निष्क्रिय हो जाएगा।

***4. वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करने के लिए दंड.–(1)** अठारह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर, पूर्णतः या भागतः, [किसी अन्य व्यक्ति] की वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन निर्वाह करता है, उसे एक अवधि के कारावास से, जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डित किया जा सकेगा [और जहां ऐसी कमाई किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित है, वहां उसे कम से कम सात वर्ष और अधिक से अधिक दस वर्ष की अवधि के कारावास से, दण्डित किया जा सकेगा]।*

(2) जहां यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति अठारह वर्ष से अधिक आयु का है–

(क) किसी वेश्या के साथ रहना, या आदतन उसके साथ रहना; या

(ख) किसी वेश्या की गतिविधियों पर इस प्रकार नियंत्रण, निर्देशन या प्रभाव डाला हो जिससे यह पता चले कि ऐसा व्यक्ति उसकी वेश्यावृत्ति में सहायता कर रहा है, उसे उकसा रहा है या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है; या

(ग) किसी वेश्या की ओर से दलाल या दलाल के रूप में कार्य करना, जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अर्थ में जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन निर्वाह कर रहा है।

***5. वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को प्राप्त करना, प्रेरित करना या ले जाना–**(1) कोई व्यक्ति जो–*

(क) वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को, उसकी सहमति से या उसके बिना, खरीदता है या खरीदने का प्रयास करता है; या

(ख) किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए इस आशय से उत्प्रेरित करता है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से वेश्यालय का निवासी बन जाए या वहां बार–बार जाए; या

(ग) किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति करने या वेश्यावृत्ति करने के लिए पाला जाने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है, या ले जाने का कारण बनता है; या

(घ) किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित करेगा या प्रेरित करेगा;

[दोषी ठहराए जाने पर कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि के कठोर कारावास से तथा दो हजार रुपए तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा और यदि इस उपधारा के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो सात वर्ष की अवधि के कारावास के दंड को बढ़ाकर चौदह वर्ष की अवधि के कारावास तक किया जा सकेगा:

परन्तु यदि वह व्यक्ति जिसके संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई अपराध किया गया है,

(i) बालक है, तो इस उपधारा के अधीन दण्ड कम से कम सात वर्ष की अवधि के कठोर कारावास तक, किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा; तथा

(ii) नाबालिग है, तो इस उपधारा के अंतर्गत दी गई सजा कम से कम सात वर्ष और अधिकतम चौदह वर्ष की अवधि के कठोर कारावास तक होगी;

[***]

(3) इस धारा के अधीन अपराध का विचारण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकेगा –

(क) उस स्थान में जहां से किसी व्यक्ति को प्राप्त किया जाता है, जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, ले जाया जाता है या ले जाया जाता है या जहां से ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करने या ले जाने का प्रयास किया जाता है; या

(ख) उस स्थान पर जहां वह उत्प्रेरण के परिणामस्वरूप गया हो या जहां उसे ले जाया गया हो या ले जाने का प्रयत्न किया गया हो।

6. किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है–

(1) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे उसकी सहमति से या उसके बिना, निरुद्ध करता है, –

(क) किसी वेश्यालय में, या

(ख) किसी परिसर में या उसके ऊपर इस आशय से कि 3[ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संभोग कर सके जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है],

[दोषी ठहराए जाने पर, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन हो सकेगी या किसी ऐसी अवधि के लिए, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा:

परन्तु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड दे सकेगा।

[(2) जहां कोई व्यक्ति वेश्यालय में किसी बालक के साथ पाया जाता है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया है।

(2 क) जहां वेश्यालय में पाया गया कोई बालक या अवयस्क, चिकित्सीय परीक्षण में यौन दुर्व्यवहार किए जाने का पता चलता है, वहां, जब तक विपरीत साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि बालक या अवयस्क को, यथास्थिति, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया गया है या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उसका यौन शोषण किया गया है।]

(3) यह माना जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री या लड़की को उसके वैध पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ संभोग के प्रयोजन के लिए वेश्यालय में या किसी परिसर में या उसके ऊपर रोके रखता है, यदि ऐसा व्यक्ति उसे वहां रहने के लिए मजबूर या प्रेरित करने के इरादे से, –

(क) उससे कोई आभूषण, पहनने का वस्त्र, धन या अन्य संपत्ति छीन लेता है, या

(ख) उसे धमकी देता है कि यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके निर्देश पर उसे उधार दी गई या दी गई कोई आभूषण, वस्त्र, धन या अन्य संपत्ति अपने साथ ले जाएगी तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(4) किसी भी विपरीत कानून के होते हुए भी, ऐसी महिला या लड़की के विरुद्ध उस व्यक्ति के कहने पर, जिसके द्वारा उसे निरुद्ध किया गया है, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिससे किसी आभूषण, वस्त्र या अन्य सम्पत्ति की वसूली हो सके, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया हो कि वह ऐसी महिला या लड़की को उधार दी गई है या उसके लिए आपूर्ति की गई है या जिसे ऐसी महिला या लड़की ने गिरवी रखा है या किसी ऐसे धन की वसूली हो सके, जिसे ऐसी महिला या लड़की द्वारा देय माना गया हो।"

10. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में कानूनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए **दिनेश तिवारी** (उपरोक्त) के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के कंडिका **14, 15, 16, 29 और 30** को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

"14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कल्पनाथ राय बनाम राज्य (सीबीआई के माध्यम से); (1997) 8 एससीसी 732** के मामले में धारा 100(4) सीआरपीसी की व्याख्या करते हुए कहा कि ऐसी कोई कानूनी धारणा नहीं हो सकती कि पुलिस छापे के दौरान गवाह की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी का साक्ष्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। अधिक से अधिक, यह न्यायालय पर पुलिस अधिकारी के साक्ष्य की जांच करते समय अधिक सावधानी बरतने का दायित्व डालेगा। यदि पुलिस अधिकारी का साक्ष्य स्वीकार्य पाया जाता है, तो यह गलत धारणा होगी कि न्यायालय को अभियोजन पक्ष के बयान को केवल

इस आधार पर खारिज कर देना चाहिए कि कोई गवाह मौजूद नहीं था। उपरोक्त निर्णय के कंडिका संख्या 88 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है: –

> *"**88.** ऐसा कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं हो सकता कि पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य, जब तक कि स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित न हो, स्वीकार्य नहीं है। पुलिस छापे के दौरान स्वतंत्र गवाह की जांच न करना या यहां तक कि ऐसे गवाह की मौजूदगी भी अदालत पर पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य की जांच करते समय अधिक सावधानी बरतने का अतिरिक्त दायित्व डालती है। यदि पुलिस अधिकारी का साक्ष्य स्वीकार्य पाया जाता है तो यह एक गलत प्रस्ताव होगा कि अदालत को अभियोजन पक्ष के संस्करण को केवल इस आधार पर खारिज कर देना चाहिए कि किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई थी। **प्रदीप नारायण मडगांवकर [(1995) 4 एससीसी 255: 1995 एससीसी (आ.) 708]** में, जिसमें हममें से एक (मुखर्जी, जे.) एक पक्ष था, उपर्युक्त स्थिति स्पष्ट शब्दों में बताई गई है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 261, पैरा 11)*
>
> *"वास्तव में, आधिकारिक (पुलिस) गवाहों के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस बल से संबंधित हैं और या तो जांच एजेंसी या अभियोजन एजेंसी में रुचि रखते हैं, लेकिन विवेक यह कहता है कि उनके साक्ष्य की कड़ी जांच की जानी चाहिए और जहां तक संभव हो, उनके साक्ष्य की भौतिक विवरणों में पुष्टि की जानी चाहिए। उनकी जांच के आधार पर मामले की सफलता देखने की उनकी इच्छा के लिए उनकी गवाही की सराहना करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता है।"*

15. इसी तरह, **साहिब सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में; (1996) 11 एससीसी 685,** धारा 100(4) सीआरपीसी की व्याख्या करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तलाशी के दौरान स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति पुलिस अधिकारी के साक्ष्य के वजन को प्रभावित करेगी, हालांकि इसकी स्वीकार्यता नहीं। वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 15(2) के तहत अपेक्षित स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति को पुलिस द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया गया, क्योंकि कोई भी उस घर की तलाशी लेने के लिए उनके साथ जाने को तैयार नहीं था, जिसका उपयोग वेश्यावृत्ति के लिए किया जा रहा था। इसलिए, जब तक कि आवेदक द्वारा परीक्षण के दौरान आवेदक के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया जाता है, तब तक अभियोजन पक्ष की कहानी को केवल अधिनियम की धारा 15(2) के उल्लंघन पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

16. इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि तलाशी में कमी एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय सुनवाई के दौरान किया जाना चाहिए और कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घर की तलाशी लेते समय अधिनियम की धारा 15(2) का उल्लंघन या अनियमितता हुई है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से, वेश्यालय की तलाशी के मामले में इलाके का कोई भी व्यक्ति पुलिस के साथ आगे नहीं आता है। यदि अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए ऐसे

आधार पर विचार किया जाता है, तो अधिकांश कार्यवाही बिना सुनवाई के ही रद्द कर दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डी. विनोद शिवप्पा बनाम नंदा बेलिअप्पा; (2006) 6 एससीसी 456,** के मामले में यह भी देखा कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय, न्यायालय को ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो शरारत को दबा दे और उपाय को आगे बढ़ाए। यह नियम **हेडन के केस (1584) 76 ईआर 637 में निर्धारित किया गया है। इसलिए, यह न्यायालय यह भी मानता है कि अधिनियम की धारा 15(2) का निर्देश प्रकृति में निर्देशात्मक है और अधिनियम की धारा 15(2) में "करेगा" शब्द के उपयोग के बावजूद अनिवार्य नहीं है।**

29. ऊपर उल्लिखित निर्णयों में, जिनका आवेदक ने अपने दूसरे तर्क के समर्थन में सहारा लिया, गुजरात उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, साथ ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी यह टिप्पणी की कि वेश्यालय में ग्राहक के रूप में किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से अधिनियम की धारा 3/4/5/7/8/9 के तहत अपराध के तत्व आकर्षित नहीं होंगे। **गोयनका साजन कुमार** (उपरोक्त) में निर्णय का कंडिका संख्या 5 इस प्रकार है:–

> *"5. इनमें से कोई भी धारा वेश्यालय के ग्राहक को सज़ा देने के बारे में नहीं कहती है। बेशक, याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 3 से 7 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि याचिकाकर्ता वेश्यालय नहीं चला रहा था, न ही उसने अपने परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता पर वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीने का आरोप नहीं है। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीद रहा था या उसे प्रेरित कर रहा था, न ही अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि कोई व्यक्ति उस परिसर में कमाई कर रहा था जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है।"*

30. इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने **नरतू रामबाबू** ***(उपरोक्त)*** के मामले में **गोयनका साजन कुमार** ***(उपरोक्त)*** के फैसले पर भरोसा करते हुए कंडिका संख्या 8 में कहा कि जब कोई व्यक्ति ग्राहक के रूप में वेश्यालय जाता है, तो वह अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत अपराध के लिए अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं है।

11. उपर्युक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों के मद्देनजर, अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 15(2) के उल्लंघन में या सीआरपीसी की धारा 100(4) के उल्लंघन में की गई तलाशी के आधार पर, अधिकतम यह पता लगाया जा सकता है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 2(ए) के मद्देनजर किसी परिसर या किसी वाहन की तलाशी लेते समय अनियमितता हुई है, जिसे 'वेश्यालय' कहा जा सकता है, जो निश्चित रूप से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, लेकिन जब याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप अधिकतम एक ग्राहक के रूप में 'वेश्यालय' में जाने या केवल वहां मौजूद होने का है, तो निश्चित रूप से किसी भी साजिश की कमी के कारण, उस पर अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3/4/5/6 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

12. ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, बरौनी पी.एस. केस संख्या 344/2014, जी.आर. संख्या 3595/2014 के संबंध में विद्वान सी.जे.एम. बेगूसराय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 26.02.2016 को याचिकाकर्ता के रूप में सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ रद्द और रद्द किया जाता है।

13. तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. इस निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान निचली अदालत को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

राजीव/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।